



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल आदेश

क्रमांक -1/2011/ अधी./ 8025

बैतूल, दिनांक 03/नवम्बर, 2011

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक बी-1/15/2011/2/एक, दिनांक 12 अगस्त, 2011 से श्री ओ.पी. गौतम, अपर कलेक्टर की एवं शासन के आदेश क्रं. बी-1/66/2011/2/एक, दिनांक 8 अगस्त 2011 से श्री सत्येन्द्र अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना इस जिले में किये जाने के कारण उनके द्वारा इस जिले में पदभार ग्रहण करने के फलस्वरूप पूर्व के जारी कार्यालयीन कार्यविभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अधिकारियों के नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार आगामी आदेश तक जिला कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

1. श्री एस.एन.सिंह चौहान  
अपर कलेक्टर(विकास)  
एवं मुख्य कार्यपालन अधी०  
जिला पंचायत, बैतूल
- अ- दायित्वक - निरंक  
ब- राजस्व - निरंक  
स- अन्य:- विकास कार्य
1. पंचायत शाखा  
2. विकास शाखा  
3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ  
4. परख एक्सप्रेस  
5. 'परख' कार्यक्रम  
6. समाधान आनलाईन  
7. ग्राम सचिवालय व्यवस्था  
8. गोकुल ग्राम प्रकल्प  
9. नोडल अधिकारी, पचमढ़ी बायोस्फेयर  
10. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
2. श्री ओ.पी. गौतम  
अपर कलेक्टर
- अ- दायित्वक-अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
ब- राजस्व - अपर कलेक्टर
1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, की धारा 44, 50, 51 के अन्तर्गत प्रत्येक 10 वरं प्रकरण छोड़कर शेष समस्त प्रकरण ।  
2. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, की धारा 240 एवं 241 को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण  
3. म.प्र. भूमि धारकों को उधार देने वालों की भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत समस्त अपील प्रकरण  
4. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/3 के अन्तर्गत शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना

5. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान सहायता के प्रकरणों की स्वीकृति
6. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
7. अंकिचन जांच संबंधी प्रकरण
8. अन्य लघु नियमों/नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर को प्राप्त अधिकारों के अधीन समस्त प्रकरणों का निराकरण

स- प्रभारी अधिकारी :-

1. वित्त-स्थापना/लेखा-वित्त शाखा
2. नोडल अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति
3. मुलताई गोलीकाण्ड
4. लोक सूचना, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम
5. भू-अर्जन शाखा
6. सतर्कता शाखा
7. एस डब्ल्यू शाखा

द- अन्य :-

1. वित्त शाखा की नस्तियां में विद्युत, टेलीफोन, पी.ओ.एल., वाहन मरम्मत, के 30000/- रुपये तक के देयकों की स्वीकृति ।
2. समस्त उप जिलाध्यक्षो, तहसीलदारों नायब तहसीलदारों के यात्रा भत्ता देयको, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयको की स्वीकृति ।
3. जिला स्थापना के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि की राशि की स्वीकृति ।
4. स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम तथा अन्य समस्त अग्रिमों की स्वीकृति
5. तहसीलदारो/नायब तहसीलदारों एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धियों की स्वीकृति ।
6. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 30 दिवस तक के अर्जित अवकाश की स्वीकृति ।
7. वित्त शाखा के समस्त देयकों की स्वीकृति ।
8. किराया निर्धारण के प्रकरणों में कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग ।
9. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने हेतु समन्वयक अधिकारी ।
10. जिला प्रमुखों की दूर डायरी/दूर प्रोग्राम की विवेचना ।
11. आयुध नियम, 1962 के अन्तर्गत प्रपत्र-3 में स्वीकृत अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण ।
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

3. श्री सत्येन्द्र अग्रवाल,  
डिप्टी कलेक्टर

अ- दाण्डिक -

कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-बैतूल

ब- राजस्व-

स- अन्य

1. जिला जनगणना अधिकारी
2. उप-जिला निर्वाचन अधिकारी: -  
सामान्य निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन
3. मण्डी निर्वाचन संबंधी कार्य

द- प्रभारी अधिकारी:-

1. भू-अभिलेख/ भू प्रबंधन
2. नोडल अधिकारी राजस्व एवं वन भूमि सीमा विवाद
3. जन सुनवाई
4. वरिष्ठ लिपिक शाखा
5. अति. वरिष्ठ लिपिक शाखा
6. प्रवाचक शाखा
7. नाजरात शाखा
8. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा
9. जी०एम०एफ०सी०/तकाबी/विद्युत्त प्रदाय मानिट्रिंग
10. संस्थागत वित्त (अल्पबचत शाखा)
11. कम्प्यूटराईजेशन
12. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री
13. निर्देश लिपिक शाखा
14. राजस्व अभिलेखागार/ आंग्ल अभिलेखागार
15. मान० मुख्यमंत्री जी की घोषणाए एवं जनदर्शन
16. लायसेंस शाखा
17. कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

4. श्रीमति प्रियंका गोयल अ- दण्डिक -  
डिप्टी कलेक्टर (परि.) कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-बैतूल

ब- राजस्व-

स- अन्य:-

1. नजूल अधिकारी, बैतूल।

प्रभारी अधिकारी

1. विभागीय जांच
2. सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा
3. राजस्व लेखापाल एवं राहत शाखा
4. आपदा प्रबंधन, बाढ़ राहत इत्यादि
5. हमारा घर हमारा दफ्तर
6. बाल श्रमिक कल्याण
7. शिकायत शाखा एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
8. मान.मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क (मानिट्रिंग शाखा)
9. राजस्व मुहर्रिर, ब्रिक्स
10. अजा/अजजा अत्याचार निवारण शाखा
11. पुरातत्व शाखा
12. आवक, जावक शाखा
13. 20-सूत्रीय शाखा
14. मुख्यप्रतिलिपिकार शाखा
15. व्यवहारवाद/न्यायिक शाखा प्रकरण - सॉख्य. लिपिक से संबंधित
16. कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंप गये अन्य कार्य।

2. नीचे अंकित सारणी के कालम नंबर-2 में दर्शाये अधिकारी के अवकाश/क्षमण अथवा प्रशिक्षण पर रहने की स्थिति में इनका कार्य कॉलम-3 में दर्शाये अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा :-

क्रमांक	नाम अधिकारी	लिक अधिकारी
1	2	3
1	श्री ओ.पी. गौतम, अपर कलेक्टर	श्री सत्येन्द्र अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, बैतूल
2	श्री सत्येन्द्र अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, बैतूल	श्रीमति प्रियंका गोयल, डिप्टी कलेक्टर
3.	श्रीमति प्रियंका गोयल, डिप्टी कलेक्टर	श्री सत्येन्द्र अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, बैतूल

3. लिंक अधिकारी को प्रस्तुत की गई नस्तियों संबंधित प्रभारी अधिकारी के उपस्थित होने पर शाखा लिपिक द्वारा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ताकि प्रभारी अधिकारी नस्ती में उनकी अनुपस्थिति में हुई कार्यवाही से अवगत हो सके। लिंक अधिकारियों के अवकाश पर रहने/क्षमण पर रहने/अथवा अन्य कार्यों में व्यस्त रहने पर जो भी संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे वे नस्तियों को अपने माध्यम से उच्च अधिकारी को दीप सहित भेजेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बैतूल

पृ.क्रमांक -1/2011/ अधी./  
प्रतिलिपि,

बैतूल, दिनांक /नवम्बर, 2011

1. अपर कलेक्टर, बैतूल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल
3. उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन, बैतूल।
4. प्रभारी अधिकारी..सर्व जिला कार्यालय बैतूल ।
5. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैतूल/ मुलताई/ भैसदेही/ शाहपुर ।
6. सहायक संचालक जन सम्पर्क बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
7. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक राजस्व एवं सामान्य कलेक्टरेट, बैतूल
8. स्टेनो दू कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर, बैतूल।
9. प्रवाचक दू कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बैतूल ।
10. समस्त शाखा लिपिक जिला कार्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बैतूल